संख्या-21/2025/494/30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय: कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 में पूंजीगत मद के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 18-10-2024 द्वारा निर्गत धनराशि से 07 संभागीय परिवहन अधिकारियों को आउटडोर एल0ई0डी0 व अन्य संयंत्र युक्त 01-01 पब्लिसिटी वैन के क्रय तथा 75 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय प्रवर्तन के सापेक्ष सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु वाले 20 जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु बिल बोर्ड की स्थापना पर व्यय हेतु निर्गत कुल धनराशि रू0 1289.00 लाख को अग्रिम रूप से आहरित कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2493स0सु0/2024-08स0सु0/2021 (Vol-3), दिनांक 18-12-2024 एवं पत्र संख्या-425स0सु0/2025-08स0सु0/2021 (Vol-3), दिनांक 18-02-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-114/2024/2418/30-3-2024, दिनांक 18.10.2024 द्वारा पूंजीगत मद के अंतर्गत मद संख्या-42 अन्य व्यय हेतु निर्गत धनराशि रू0 3199.49 लाख की तालिका के क्रमांक-(1) पर अंकित धनराशि में से 07 संभागीय परिवहन अधिकारियों को आउटडोर एल0ई0डी0 व अन्य संयंत्र युक्त 01-01 पब्लिसिटी वैन के क्रय हेतु धनराशि 280.00 लाख एवं तालिका के क्रमांक-(3) पर 75 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय प्रवर्तन के सापेक्ष सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु वाले 20 जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु बिल बोर्ड की स्थापना पर व्यय हेतु रू0 1009.00 लाख अर्थात प्रश्नगत कार्यों हेतु कुल निर्गत धनराशि रू0 1289.00 लाख (रू0 बारह करोड़ नवासी लाख मात्र) को अग्रिम रूप से आहरित कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आपका होगा।
2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जायेगा।
4. धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथाउसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-21/2025/494/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।